

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 11282/2023

Dated: 26/12/2023

Certified that the DELHI PUBLIC SCHOOL PHERUPUR (name of the building or premises) at LAKSAR ROAD, PHERUPUR, HARIDWAR (address) comprised of ZERO basement(s) and GROUND + 1 UPPER FLOOR (upper floors) owned/ occupied by DELHI PUBLIC SCHOOL, PHERUPUR (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 28/01/2023 (date of inspection) in the presence of MR. ASHOK THRIPATHI, 73 RAJGHAT NEAR POST OFFICE KANKHAL (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy up to classes XII (~~XI~~/ XII) With effect from 28/01/2023 for a period of 3 (THREE) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. CAMPUS HAS ONLY ONE (1) BLOCK.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 28/01/2023 (date of issue) at HARIDWAR (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: [Signature] 26/12/23

Name : SHISHIR SINGH NEGI

Designation : F.S.O.

Name & Address of Department/ Office: V.K. FIRE & EMERGENCY SERVICE

To DELHI PUBLIC SCHOOL PHERUPUR FIRE STATION MAYAPUR HARIDWAR

(Name & Address of the Institution)
LAKSAR ROAD, PHERUPUR HARIDWAR
249404

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



DELHI PUBLIC SCHOOL PHERUPUR

(UNDER THE AEGIS OF DPS SOCIETY, NEW DELHI)
LAKSAR ROAD, PHERUPUR, HARIDWAR (UTTARAKHAND)

Ref: DPSP/Admin/23-24/057

Dated: 27/12/23

This is to certify that the Fire Safety Department , Haridwar, Uttarakhand issued a legal and valid NOC for Fire Safety, Certificate no. 10(2)/ CFO-H/ 2022 , to Delhi Public School Pherupur, Haridwar, on the format set by their department for Fire Safety Certificate, on January 28,2023, when school was found eligible, after inspection, for the same and fulfilled all the norms set by Uttarakhand Fire Safety Department to get NOC. This certificate is valid for three years i.e. January 28,2023 to January 27, 2026. The Pdf. of which is attached herewith for your kind consideration.

However based on the State NOC issued on January 28,2023, the Fire Safety Department has issued the revised certified on December 26, 2023 on the defined format of CBSE which is attached herewith.

Shivani Bhaskar

Principal

Principal
Delhi Public School
Pherupur

Ashok Tripathi

Manager

Delhi Public School Pherupur
Laksar Road, Haridwar

कार्यालय मुख्य अग्निशमन

अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल-cfohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं०-01334-265700

पत्रांक: न-10(2)/सीएफओ-एच/2022

दिनांक: जनवरी 28, 2023।

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
ग्राम-फेरूपुर, जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Pre-Operational के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर:-44928371, दिनांक: 27.01.2023 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। भवन/संस्थान में कुल G+1 तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 20088 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 3671 वर्ग मी० है। भवन/संस्थान की ऊँचाई 06 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट है/नहीं है, जिसका क्षेत्रफल.....वर्ग मी० है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 28 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2026 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेविलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.वी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त संस्थान यदि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आता है तो मानचित्र को प्राधिकरण से 03 माह में स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य है प्रदत्त प्रमाण पत्र को मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी अभिलेख न समझा जाये, प्राधिकरण द्वारा आपत्ति होने पर इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
9. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.वी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Rinam
Head Mistress
Delhi Public School Pherupur

Arul
Manager
Delhi Public School
Pherupur, Block-Bahadurpur